स्कूलों का कहना, यह टीचर्स को निराश करने वाला फैस

पैरंट्स खुश, स्कूल हैं परेश

Katyayani.Upreti
@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के पैरंट्स को हाई कोर्ट ने फीस हाइक पर स्टे लगाकर बड़ी राहत दी है मगर स्कूल इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमिटी एक-दो दिन में इमरजेंसी मीटिंग करेगी और लीगल पहलुओं पर विचार करेगी। पैरंट्स का कहना है कि हाई कोर्ट ने उनका बड़ा बोझ हल्का किया है। स्कूलों का कहना है कि इससे टीचर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि 7वें नहीं मिली है। डायल के उस फैसले को अदालत ने बरकरार रखा है, जिसमें इंडिगो, गो एयर और स्पाइसजेट का संचालन टर्मिनल-1 से 2 पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया था। हालांकि, ऑपरेशन शिफ्ट करने के लिए कोर्ट ने एयरलाइंस को 15 फरवरी तक की मोहलत दे दी।

जस्टिस ए. के. चावला की बेंच ने एयरलाइंस के लिए ऑपरेशन शिफ्ट करने की मियाद 4 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी। हाई कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की याचिका पर 4 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एयरलाइंस ने संचालन को टी1 से टी2 पर शिफ्ट करने के डायल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। डायल ने 21 अक्टूबर को इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट से कहा था कि वे दिल्ली में मुंबई, सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर था कि सभी प्राइवेट स्कूल स्टाफ और टीचर्स के लिए सातवें पे कमिशन की सिफारिश लागू कर सकते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ाई जा सके।

ऑडिट करवा ले सरकार'

स्कूलों का कहना है कि उन्होंने पे कमिशन को लागू करने के लिए पूरी तरह से पेपर वर्क किया है और नियम के हिसाब से ही फीस बढ़ाई जा रही है। अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमिटी के प्रेजिडेंट एस के भट्टाचार्य का संचालन टी-1 से जारी रहेगा। इंडिगो ने डायल के फैसले को चुनौती दी और कहा कि आंशिक रूप से उसके संचालन को शिफ्ट करने से यात्रियों को असुविधा होगी। अपने फैसले को सही ठहराते हुए डायल ने कहा था कि टी-1 पहले से ही अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ ढो रहा है। संचालन को आंशिक रूप से शिफ्ट नहीं किया गया तो एयरपोर्ट पर क्षमता से ज्यादा भीड़ हो जाएगी। उसने यह भी दलील दी कि आगजनी या हादसे के दौरान एयरपोर्ट पर भीड़ की वजह से गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जिसके लिए तब सिर्फ डायल ही जवाबदेह होगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने कहा कि उसका फैसला बेवजह नहीं है, क्योंकि उसने एयरलाइंस को राजी करने के लिए काफी समय दिया था।

> एयरलाइंस की शिफ्टिंग में देरी से प्रोजेक्ट में एक साल की देरी

> 7वें पे कमिशन के नाम पर फीस बढ़ नाम पर हमारे पास कई शिकायतें आ कि सरकार के ऑर्डर की खामियों का स्कूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पैरंट्स को भरोसा दि कि उनके हक में ही आगे फैसले लिए जाएंगे।
> – *मनीष सिसोदि*

पैरंट्स के लिए फीस हाइक बोझ नहीं होती। उधर, टीचर्स भी इस फैसले से परेशान हुए हैं। हालांकि, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर का कहना है कि सरकार को इसे पहले लागू करना चाहिए था और स्कूलों के खातों सरकार ने छूट दी थी, नहीं, बल्कि थे। एएसए वाली एक

नौकरी से निकाला तो कर दिया मर्डर

एक दिन पहले हुए मर्डर में 6 आरोपी गिरफ्तार

■ प्रमुख संवाददाता, द्वारका

द्वारका नॉर्थ थाना इलाके में मंगलवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले को चंद घंटों में सुलझा लिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक और साथी अभी फरार है। प्राथमिक जांच में पता लगा है कि आरोपियों में से एक को करीब डेढ़ महीने पहले बिजनेसमैन ने नौकरी से निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजनेसमैन की हत्या कर दी।

कि राजेंद्र गर्ग की हत्या करने के आरोप में मोहम्मद साहिल, जनक नेपाली, मनोज उर्फ रोकी, नागेंद्र (गोली मारने वाला आरोपी), मुन्नु और बब्बर खान शामिल हैं। उनका एक साथी रोहित अभी फरार है। वारदात को अंजाम देने के लिए नागेंद्र, रोहित और मनोज गाजियाबाद से आए थे। इनमें मुख्य आरोपी मोहम्मद साहिल है। करीब डेढ़ महीने पहले तक ककरोला मोड़ के पास एक चॉकलेट के डिस्ट्रिब्यूटर राजेंद्र गर्ग के यहां नौकरी करता था। गर्ग फैमिली उत्तम नगर में रहती है।

इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल पीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या 174/एएलडी/2017
{अधिनियम की धारा 230–232 के अंतर्गत}
के मामले में
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
और
जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड
और
व्यवस्था की योजना के मामले में

1. जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
सेक्टर 128, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201304 ..... हस्तांतरणकर्ता कंपनी
2. जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
सेक्टर 128, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201304 .....हस्तांतरणीय कंपनी
.....आवेदक

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंशधारकों, प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा ई–वोटिंग/डाक मतपत्र की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 08 दिसम्बर 2017 को दिए आदेश के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद पीठ ने हस्तांतरणकर्ता कंपनी के अंशधारकों, प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठकों को dispense किया और उसके बदले निर्देश दिया है कि उपरोक्त नामित आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित अंशधारकों और ऋणदाताओं के मध्य होने वाली व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर सहमति डाक मतपत्र द्वारा और इलेक्ट्रोनिक माध्यम (ई–वोटिंग) द्वारा वोटिंग की सुविधा के साथ, जहाँ भी संभव हो, प्राप्त की जाए ।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में और जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है, आगे एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी के अंशधारकों (Cut-off date 17/11/2017), प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं (Cut-off date 15/10/2017), की सहमति प्राप्त करने हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 के अंतर्गत व्याख्यातमक/प्रकटीकरण वक्तव्य के साथ नोटिस, 21/12/2017 (सुबह 9 बजे) को वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि के तौर पर तय करने वाले और 20 जनवरी, 2018 (सांय 5 बजे) को डाक मतपत्र/ई–वोटिंग को जमा कराने की अंतिम तिथि के तौर पर तय करने वाले माननीय एनसीएलटी के पूर्वोक्त आदेश द्वारा दिये निर्देश के अनुसार 18/12/2017 को प्रेषित कर दिया गया है । 20 जनवरी, 2018 (सायं 5 बजे) के बाद प्राप्त कोई भी डाक मतपत्र वैद्य नही होगा और वोटिंग की, चाहे डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा, उक्त तिथि के बाद अनुमति नही होगी ।

कंपनी ने सीडीएसएल के माध्यम से www.evotingindia.com पर इलैक्ट्रोनिक तरीके द्वारा मत डालने की सुविधा उपलब्ध की है । ई मतदान करने की प्रक्रिया डाक मतपत्र/अंशधारकों के लिये ई वोटिंग के नोटिस के नोट नं 20 मे दी हुई है । नोटिस दिशा निर्देशों के साथ कंपनी की वेबसाइट www.jalindia.com और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है ।

अंशधारकों/ऋणदाताओं के मत डालने के अधिकार की गणना Cut-off date को अंश के प्रदत्त मूल्यों/देय राशि पर होगी । अंशधारक कंपनी की वेबसाइट www.jalindia.com से डाक मतपत्र फार्म डाउनलोड कर सकते हैं अथवा ऋणदाता/अंशधारक jal.postalballot@jalindia.co.in पर ई मेल द्वारा निवेदन भेज सकते हैं अथवा सचिवालय विभाग, 'जेए', हाउस, 63,बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर 10 जनवरी, 2018 तक हस्ताक्षरित निवेदन भेज सकते हैं ।

व्यवस्था की उक्त योजना और अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत वक्तव्य की प्रतिलिपियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या एडवोकेट श्री आर. पी. अग्रवाल के १ए–ऑकलैंड रोड, इलाहाबाद–211001 स्थित कार्यालय से उनके लिये निवेदन करने के बाद एक दिन के अंदर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं ।

माननीय ट्रिब्यूनल ने श्री निसार अहमद, PCS, को संवीक्षक के रूप में और डॉ पवन जायसवाल, PCMA को वैकल्पिक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, और उनको अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में आवेदकों को प्रति के साथ, ट्रिब्यूनल को जमा करने का निर्देश दिया है । व्यवस्था की उपरोक्त योजना, अंशधारकों, प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित होने पर, इसके उपरांत माननीय ट्रिब्यूनल की स्वीकृति के अधीन होगी।

डाक मतपत्र द्वारा वोटिंग के संबंध में कोई भी शिकायत अथवा प्रश्न jal.postalballot@jalindia.co.in पर कंपनी सचिव को ई मेल भेज कर भेजी जा सकती है और ई वोटिंग के संबंध में श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, को ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचूरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई–400013, को भेजा जा सकता हैअथवा फोन नं 18002005533, ई मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com को भेजा जा सकता हैं।

दिनांक : 19 दिसंबर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

एम.एम. सिब्बल
आवेदक कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि

Djoko pi

To Make Long-Awai

Sydney: Former world No.1 Novak Djokovic will warm-up for a tilt at a record seventh Australian Open crown by playing in an innovative quickfire event at the Melbourne venue.

Djokovic, who has been sidelined since July with a right elbow injury, is making his long-awaited return to the game at an exhibition tournament in Abu Dhabi from December 28-30.

The Serbian world No. 12 and volatile Australian Nick Kyrgios will headline the eight-man Tie Break Tens tournament at Margaret Court Arena at Melbourne Park on January 10.

TENNIS UPDATE

Each match will last for one tiebreak, with the first player to 10 points winning. The entire tournament will be completed on the night, and the winner will pocket $250,000.

The Australian debut of the novel format comes after three previous events in London, Vienna and Madrid.

Kyrgios, who brought an early end to his season in October because of a long-standing hip injury, said the tournament "really suits my game style".

"I am looking forward to having some fun with it and I reckon the crowds will really get into it," he added.

The Australian Open's tournament director Craig Tiley said he was "absolutely thrilled" the format would feature in Melbourne, adding that it was "fast, its flashy and heaps of fun for everyone". The Australian Open begins at Melbourne Park on January 15.

Serena sorts out baby teething issues, hints at return again

Miami: Serena Williams says she has struggled with her baby daughter's teething pain even as she tweeted a photo hinting she might be working on a co-

Decision on

London: The International Paralymxpic Committee (IPC) said on Wednesday it was maintaining its suspension of the Russian Paralympic Committee but had yet to make a final decision on whether it can compete at the 2018 Winter Games in South Korea.

In a statement, the IPC said it had also kept in place an interim measure for Russian athletes to compete as neutrals in qualification events across four winter sports: alpine skiing, biathlon, cross-country skiing and snowboard.

A final decision on whether Russian athletes can compete at the Games in Pyeongchang will be made in January. The IPC imposed a blanket ban on Rus-

HK fined as fans boo Chinese national anthem

Hong Kong: Hong Kong have been fined $3,000 after fans jeered the Chinese national anthem during an Asia Cup match last month, the third time they have been punished for booing. Fans have taken to booing the anthem as concerns grow that semi-

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH

COMPANY APPLICATION (CAA) No. 174 /ALD/2017
[Under section 230-232 of the Act]
IN THE MATTER OF
JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED
AND
JAYPEE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT

1.JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED
Sector 128, Noida
Uttar Pradesh - 201304 ..... Transferor Company

2.JAYPEE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED
Sector 128, Noida
Uttar Pradesh - 201304 .....Transferee Company

..... APPLICANTS

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF POSTAL BALLOT/ E-VOTING BY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED, TRANSFEROR COMPANY

NOTICE is hereby given that by an order dated 08.12.2017 the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, has dispensed with the meetings of Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferor Company and has instead directed that their approval to the proposed Scheme of Arrangement between the above-named Applicant Companies and their respective shareholders and the creditors, be obtained by postal ballot with facility of voting through electronic means (e-voting), wherever possible.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that notices for obtaining approval of Shareholders (Cut-off date 17/11/2017), Secured and Unsecured Creditors (Cut-off date 15/10/2017) of the Transferor Company along with Statement under section 230 of the Companies Act, 2013 ("the Act") with other required documents have been dispatched on 18/12/2017 as per directions given vide the aforesaid Order of Hon'ble NCLT fixing 21/12/2017 (9.00 a.m) as the date of commencement of voting and 20/01/2018 (5.00 p.m) as the last date for voting by submission of postal ballot/ e-voting (the facility provided for shareholders). Any Postal Ballot received after 20/01/2018 (5.00 P.M.) will not be valid and voting whether by post or electronic means shall not be allowed beyond the said date.

The Company has provided facility for voting through electronic mode through Central Depository Services (India) Limited [CDSL] at www.evotingindia.com. The procedure for e-voting is given in Note No. 20 to the Notice of Postal Ballot/ E-voting for shareholders. The Notice alongwith instructions are also available on Company's website www.jalindia.com and www.evotingindia.com.

The voting right of the Shareholders/Creditors will be reckoned on the paid up value of shares/ amount of credit as on the Cut-off date. Shareholders can download the postal ballot form from the Company's website www.jalindia.com or Creditors/ Shareholders may send a request through e-mail at jal.postalballot@jalindia.co.in or send a signed request at Secretarial Department, JA House, 63 Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 by 10th January, 2018.

Copies of the said Scheme of Arrangement and Statement under section 230 of the Act can be obtained free of charge within one day on a requisition being made for the same at the registered office of the Company or at the office of its authorized representative [Advocate] Shri R.P. Agarwal at 1A-Auckland Road, Allahabad–211001.

The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Nesar Ahmad, PCS as Scrutinizer and Dr. Pawan Jaiswal, PCMA as Alternate Scrutinizer, and directed them to submit their report to the Tribunal with copy to the Applicants within prescribed time. The above-mentioned Scheme of Arrangement, if approved by the shareholders, secured and unsecured creditors, respectively, by requisite majority, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.

Any queries or grievances in relation to voting by Postal Ballot may be sent to the Company Secretary by sending an e-mail on jal.postalballot@jalindia.co.in and in relation to e-voting may be sent to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager CDSL at - A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013.or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

M.M. SIBBAL
Authorised Representative of the Applicant Companies

Date : 19/12/2017
Place : New Delhi

GOVT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
PRINCIPAL ACCOUNTS OFFICE: PENSION CELL
A-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-110002

E-Tenders are invited under Two Bid System for providing Annual Maintenance Contract for Desktops, Printers and LAN from reputed agencies in the Principal Accounts Office and its Subordinate Offices located at different places in Delhi for a period of two years. The Bid documents along with terms and conditions, tender schedule etc. are available on the website **https://govtprocurement.delhi.gov.in** and can be downloaded there from. Tender ID No. is 2017_PAO_142005. Tender can be downloaded from 29/12/2017 to 08/01/2018 at 10:00 AM. Tender can be submitted upto 01:00 PM on 08/01/2018.

Sd/-
Deputy Controller of Accounts (Pension)